सं.-38/37/2008-पी एंड पी डब्ल्यू(ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 15 जून, 2010.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन – 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन का संशोधन ।

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 21.5.2009 और 11.8.2009 के समसंख्यक का.ज्ञा. में यह प्रावधान किया गया था कि यदि पीपीओ में या कार्यालय रिकॉर्ड में जन्मतिथि/उम्र के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है तो 80 वर्ष या उससे ऊपर की आयु पूर्ण होने पर अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के भुगतान के तौर पर स्वीकार किया जाएगा । यह भी प्रावधान किया गया था कि पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक उपर्युक्त तरीके से अंतरिम आधार पर अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशन भोगी द्वारा उम्र/जन्मतिथि का सबूत प्रस्तुत करने के माह से तीन माह तक भुगतान करेगा । ऐसे मामलों में, पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक तत्काल पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की एक-एक प्रति वेतन व लेखा अधिकारी/सीपीएओ के लिए अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन के औपचारिक प्राधिकार के लिए भेजेगा । पेंशन संवितरण प्राधिकारी/बैंक भुगतान व लेखा अधिकारी से तीन माह से अधिक के लिए अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का भुगतान ऐसे प्राधिकारी की प्राप्ति के बाद ही अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का भुगतान करेगा ।

2. कुछ पेंशन संवितरण बैंकों, जिन्हें पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों द्वारा उम्र का दस्तावेज़ी सबूत प्रस्तुत कर दिया गया था, ने सूचित किया है कि बहुत-से वेतन और लेखा कार्यालय जिन्हें दिनांक 21.5.2009 के समसंख्यक ज्ञापन के अनुसार उक्त को अग्रसारित किया जाता है, ने उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार उन्हें उनके अंतिम प्राधिकार के बारे में सूचित नहीं किया है । इसलिए इन बैंकों को औपचारिक प्राधिकार की अनुपस्थिति में तीन माह से आगे अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने में कठिनाई हो रही है । पीएओ जोकि उम्र का सबूत प्राप्त कर रहे हैं वे निरअपवाद रूप से पद्धति के अनुसार इनको एचओओ/विभागाध्यक्ष से मंजूर करवा सकते हैं । यदि किसी मामले में पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी दिनांक 21.5.2009 और 11.8.2009 के का.आ. में उल्लिखित किसी भी

दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं परन्तु किसी अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त पेंशन का दावा करते हैं, ऐसे मामलों को प्रशासकीय मंत्रालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा । यदि प्रशासकीय मंत्रालय पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी के दावे के बारे में संतुष्ट हैं तो वह तदनुसार अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के प्राधिकृत करेगा । इस बारे में प्रशासकीय मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा ।

3. सीजीए से यह अनुरोध किया गया है कि वह सभी वेतन एवं लेखा अधिकारियों को कार्यालय प्रमुख/विभागाध्यक्ष से अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी के लिए तत्काल कार्रवाही करें ताकि पीएओ द्वारा अतिरिक्त पेंशन पर अंतिम अनुमोदन लिया जा सके ।

तृप्ति घोष

(तृप्ति पी. घोष)
निदेशक (पीपी)
दूरभाष: 24624802

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. सीजीए/सीपीएओ ।
3. मानक डाक सूची के अनुसार ।

कृपया देखें: http://pensionersportal.gov.in